यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार: 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/68/2017 **दिनांक :** 19.08.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

सरकार का अड़ियल रूख जारी – हड़ताल के लिए जुटें

जैसा कि आपको पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है कि 16 अगस्त को आईबीए के साथ बातचीत और 18 अगस्त, 2017 को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के सामने हुई समझौता वार्ता पूर्णतः विफल रही और यूएफबीयू ने हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया। अतः आपसे अनुरोध है कि 22 अगस्त, 2017 की हड़ताल को पूर्णरूपेण सफल बनायें। हम आपके सूचना एवं संज्ञान के लिए एआईबीईए के परिपत्र संख्या 28/21/2017/21 दिनांक 19.08.2017 का अनूदित सार नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **16 अगस्त को आईबीए के साथ बैठक से तथा 18 अगस्त को मुख्य श्रम आयुक्त के सम्मुख बैठक में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं – आगे बढ़ें और उत्साहपूर्वक 22 अगस्त की हड़ताल को लागू करें और इसे एक पूर्ण सफलता बनायें – यूएफबीयू का परिपत्र**

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य समझौता बैठक आज मुख्य श्रम आयुक्त के सम्मुख नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में उनके कार्यालय में हुई। श्री ए.के नायक, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने कार्यवाही संचालित की। यूएफबीयू की ओर से, हमने सभी मुद्दों और माँगों को समझाया और आईबीए तथा सरकार को आगे आने और मुद्दों को हल करने के लिए समझाने के लिए उनके हस्तक्षेप का आग्रह किया। वित्त मंत्रालय तथा आईबीए के प्रतिनिधि उपस्थित थे लेकिन हमारे द्वारा उठाये गये किसी भी मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं कर सके। इसे देखते हुए, बैठक कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में विफल रही और इसलिए जैसा कि पहले से तय है 22 अगस्त, 2017 की हड़ताल कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया।

सभी यूनियनों तथा सदस्यों से उत्साहपूर्वक हड़ताल लागू करने का अनुरोध किया जाता है और सुनिश्चित करें कि हड़ताल पूरी तरह सफल हो।

हम यहाँ मुख्य श्रम आयुक्त के सम्मुख किये गये विस्तृत प्रस्तुतीकरण को अपनी यूनियनों तथा सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

जारी पृष्ठ 2

मुख्य श्रम आयुक्त को यूएफबीयू का प्रस्तुतीकरण

सेवा में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
प्रतिलिपि : अध्यक्ष, इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन, मुम्बई।

महोदय,

विषय : आईबीए को यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का नोटिस दिनांक 3.8.2017
संदर्भ : आपके कार्यालय का पत्र दिनांक 10.8.2017

आई.डी. एक्ट – 1947 की धारा 22 की उप–धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, हमने नोटिस दिया है कि **यूनाईटेड फोरम ऑफ यूनियन्स** (एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बैफी, इन्बैफ, इन्बौक, एनओबीडब्लू, नोबो) की घटक यूनियनों के सदस्य **निम्नलिखित मुद्दों और माँगों को लेकर 22 अगस्त, 2017** को हड़ताल पर जाना प्रस्तावित करते हैं।

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण न किया जाये
2. बैंकों के विलय तथा समेकन की योजनाओं को रोका जाये
3. कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों को बट्टे खाते न डाला जाये
4. जानबूझकर बैंक ऋणों को न चुकाना फौजदारी अपराध घोषित किया जाये
5. अनार्जक आस्तियों की वसूली पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाये
6. उच्च प्रबन्धन/कार्यकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी खराब ऋणों के मामले में तय करना सुनिश्चित किया जाये तथा इन ऋणों की वसूली के कठोर उपाय किये जायें
7. प्रस्तावित एफआरडीआई बिल को वापस लिया जाये
8. बैंक बोर्ड ब्यूरो को समाप्त किया जाये
9. कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों का भार बैंक ग्राहकों पर सेवा शुल्क बढ़ाकर न डाला जाये
10. जीएसटी के नाम पर सेवा शुल्कों को न बढ़ाया जाये
11. विमुद्रीकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं के मूल्यभार की सरकार द्वारा बैंकों को प्रतिपूर्ति की जाये
12. कर्मचारियों और अधिकारियों के विमुद्रीकरण योजना से जुड़े हुए मुद्दों को तय किया जाये
13. बैंकों में कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों के पदों को तुरन्त भरा जाये
14. सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति योजना को लागू किया जाये
15. ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान के तहत उपदान की सीमा को हटाया जाये तथा सेवानिवृत्ति पर उपदान तथा अवकाश नकदीकरण पर आय कर से पूरी छूट दी जाये
16. पेंशन से सम्बन्धित मुद्दे – आरबीआई/केन्द्र सरकार के अनुरूप पेंशन योजना में सुधार जिसमें कि विगत सेवानिवृत्त भी शामिल हों – बैंकों में पूर्व पेंशन योजना को नई पेंशन योजना के स्थान पर लागू किया जाये – 25.05.2015 की अभिलेख टिप्पणी पर कार्य किया जाये
17. सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती

आपके हस्तक्षेप और इस समझौता बैठक की व्यवस्था के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, हम आपको हमारे द्वारा उठाये गये मुद्दों और माँगों के निम्नलिखित कारणों और औचित्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं।

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण न किया जाये

इस समय हमारे देश में 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी हैं के साथ, ये बैंक हमारे देश में बैंकिंग व्यवसाय का लगभग 80% का गठन करते हैं। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आर्थिक वृद्धि और विकास के मुख्य इंजन हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में, हमें विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि विकास के लिए संसाधनों को खोजने में बाधाओं के बारे में क्या होता है, बैंकों ने लोगों की बचत को जुटाने और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उन्हें उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी बैंकों की सीमित

जारी पृष्ठ 3

और लाभार्जन की भूमिका रही है और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग हमारे देश के भविष्य के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। जबकि आर्थिक प्रगति सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह देशभक्ति की भूमिका निभाने में सक्षम करने के लिए और अधिक सुदृढ़ करना होगा। इसलिए बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि बैंकों की लगभग 80% जमाराशि गरीब और आम जनता की घरेलू बचत होती है और विकासात्मक भूमिका के उपयोग के लिए इस अनमोल सामाजिक पूंजी को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस बचत को दुरूप्योग से सुरक्षित रखने और लोगों के धन की गारंटी की आवश्यकता है। जमाकर्ताओं के धन का दुरूपयोग करने के परिणामस्वरूप बैंकों की बन्दी के ऐसे कई निजी बैंकों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए, हमें दुगुनी सावधानी बरतने और लोगों के धन की सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता है जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान में सबसे ज्यादा संभव है। इसलिए हमारे बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

यहां तक कि विकास के पथ के अन्तर्गत, क्षेत्रों जैसे कि कृषि, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, बुनियादी ढांचा आदि की आवश्यकता, प्राथमिक महत्व की है और इन क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध होना है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जिसमें कॉस सब्सिडीजाईजेशन आवश्यक है को सस्ती दरों पर ऋण दिये जाने की आवश्यकता है। यह सामाजिक उन्मुखीकरण के साथ केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में सम्भव है निजी बैंकों के विपरीत जो केवल मुनाफा उन्मुख होते हैं। इसलिए बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

लेकिन यह देखा गया है कि बैंकों के निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व नियंत्रण को कम करने की ओर कई उपाय चल रहे हैं।

एक तरफ सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पर्याप्त पूंजी से इंकार कर रही है ताकि अधिक निजी पूंजी बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर, सभी प्रकार के निजी उद्यमों को बैंकिंग व्यवसाय करने और मलाईदार बैंकिंग व्यवसाय की अनुमति देने के लिए बैंकिंग बहुत ज्यादा उदार है। सरकार द्वारा पर्याप्त पूंजी प्रावधान के अभाव में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या तो अपंग हो जायेंगे या अस्तित्व के लिए निजीकरण के लिए मजबूर हो जायेंगे।

इसलिए सरकार को वर्तमान उपायों को छोड़ देना चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम कर देंगे और जिसका परिणाम बैंकों का निजीकरण होगा। देश को आर्थिक विकास की आवश्यकता है जिसके लिए हमें जीवंत और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों की आवश्यकता है।

2. बैंकों के विलय तथा समेकन की योजनाओं को रोका जाये

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हमारे देश में विस्तार किया है इसलिए बैंकिंग अब कुल मिलाकर अधिक से अधिक स्थानों और गांवों में आम जनता के लिए उपलब्ध है। लेकिन अभी भी बड़ी गुंजाइश है और सभी लोगों और स्थानों तक पहुंचने के लिए और विस्तार करने की आवश्यकता है। बैंकिंग को अधिक समावेशी होना चाहिए और बैंकिंग सेवाओं को हर किसी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। यह जन धन योजना जैसी योजनाओं के कारणों में से एक है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। यहां तक कि वैश्विक तुलना द्वारा, भारत में बैंकिंग घनत्व सबसे कम इंगित करता है कि भारत में बैंकिंग को विस्तारित करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार अब बैंकों के विलय और समेकन की बात कर रही है। सभी रिपोर्टों के अनुसार, विलय का परिणामस्वरूप शाखायें बंद हो जायेंगी और बैंकिंग पहुंच में कमी आयेगी। विलय रोजगार की संभावना को कम कर देगा जबकि हमारे देश को अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि बैंकों को विलय द्वारा बड़ा किया जाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि बड़े बैंक मजबूत बैंक होंगे। कई देशों में बड़े बैंकों की बड़े जोखिम लेने की प्रवृत्ति है और वे बड़ी मुसीबतों में चले गये हैं। भारत में, हमारे बैंक लोगों के पैसे के साथ कार्य करते हैं और हम लोगों के पैसे के साथ ऐसे जोखिम नहीं ले सकते हैं। हमें विस्तार की आवश्यकता है और समेकन की नहीं। कोई सबूत नहीं है कि बड़े बैंक अधिक कुशल होते हैं बल्कि वे जोखिम भरे हैं। इसलिए सरकार को हमारे बैंकों के विलय की वर्तमान योजनाओं को छोड़ देना चाहिए।

जारी पृष्ठ 4

3. कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते न डाला जाये

आज बैंकों द्वारा सामना की जा रही एकमात्र प्रमुख समस्या खराब ऋणों में चिन्ताजनक वृद्धि है। यह लगभग रू0 15 लाख करोड़ है जिसमें बैंकों द्वारा पुर्नगठित ऋण शामिल हैं। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इन अनार्जक आस्तियों की बड़ा हिस्सा बड़े उधारकर्ताओं और कॉर्पोरेट घरानों से देय खराब ऋण हैं। पहले उन्हें खराब और संदिग्ध कर्ज कहा जाता था, फिर खराब ऋण कहा जाता था, हाल तक अनार्जक आस्तियां और तनावग्रस्त आस्तियां किन्तु हाल में नॉन–कोऑपरेटिव उधारकर्ताओं से देय के रूप में नामकरण हुआ है। जबकि कुछ ऋण खराब हो रहे हैं उम्मीद की जा सकती है और बैंकिंग व्यवसाय में स्वीकार किए जा सकते हैं, आज बैंकों से ऋण लेना और इसे एनपीए बना देना एक उत्तम कला बन गई है। कई बड़े एनपीए की जानबूझकर चूक की जाती है और इसलिए आरबीआई के नियमों के तहत जानबूझकर चूककर्ता हैं। कोई गंभीर प्रयास दिये गये ऋणों की वसूली के लिए नहीं किये जा रहे हैं। एनपीए में कमी के लिए क्या किया जा रहा है, एनपीए पुर्नगठन, एनपीए प्रबंधन, एनपीए प्रस्ताव, एनपीए प्रावधान, एनपीए बट्टे खाते डालना लेकिन एनपीए वसूली के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गये हैं। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इन खराब ऋणों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होती।

इस प्रकार, औसतन, बैंक लगभग रू0 1,50,000 करोड़ की वार्षिक ब्याज आय/राजस्व से वंचित होते हैं। इस हद तक बैंकों के मुनाफे में गिरावट और अवनति होती है। आग में तेल डालते हुए, अन्य क्रियाशील ऋणों से अर्जित आय से, बड़ी राशि बट्टे खाते डाली जाती है और खराब ऋण प्रदान किये जाते हैं।

रू0 करोड़ में

	2013-14	**2014-15**	**2015-16**
सकल परिचालन लाभ	127653	138721	137306
खराब ऋणों के लिए प्रावधान, आदि	90633	100901	155713
शुद्ध लाभ/हानि	37019	37540	- 18417

अर्जित लाभों से किए गये ऐसे प्रावधानों से, ऋण अंततः बट्टे खाते डाले जाते हैं।

	बट्टे खाते डाले गये खराब ऋण
2012-13	27,231 करोड़
2013-14	34,409 करोड़
2014-15	49,018 करोड़
2015-16	57,586 करोड़
2016-17	81,683 करोड़
5 वर्षों में	**249,927 करोड़**

यदि इन बट्टे खातों के खातावार विवरण सामने आ जायें, यह उजागर हो जायेगा कि यह बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के पक्ष में है। उन सभी की चुकाने की क्षमता है, और इसलिए यह बैंकों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बड़ी आर्थिक क्षति है। इसलि हम माँग करते हैं कि कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों को वसूल किया जाना चाहिए और बट्टे खाते नहीं डालना जाना चाहिए।

4. जानबूझकर बैंक ऋणों को न चुकाना फौजदारी अपराध घोषित किया जाये

आरबीआई ने उधारकर्ताओं को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में परिभाषित किया है यदि उनके द्वारा लिए गये ऋणों को दुरूपयोग, डायवर्ट करने, गबन, आदि किया जाता है। बहुत से ऋण हैं जो इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। वे जानबूझकर चूककर्ता हैं और इसलिए हम माँग करते हैं कि इन जाबूझकर चूककर्ताओं के नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होने चाहिए और ऐसी जानबूझकर चूक को फौजदारी अपराध घोषित किया जाये और उनके खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इन चूककर्ताओं के नामों को प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

जारी पृष्ठ 5

5. अनार्जक आस्तियों की वसूली पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाये

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने कई अवसरों पर बैंकों में बढ़ते हुए खराब ऋणों के मुद्दे पर चर्चा की और पहले वर्ष उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें दोषी उधारकर्ताओं पर कार्यवाही करने और खराब ऋणों को वसूल करने के लिए तरीकों और साधनों का सुझाव दिया गया था। अब तक इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए यह हमारी मांग है कि संसदीय समिति की अनुशंसायें स्वीकृत की जायें और खराब ऋणों की बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए लागू की जायें।

6. उच्च प्रबन्धन/कार्यकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी खराब ऋणों के मामले में तय करना सुनिश्चित किया जाये तथा इन ऋणों की वसूली के कठोर उपाय किये जायें

बैंकिंग लोगों के पैसे को संभाल रही है। इसलिए उचित जिम्मेदारी मानदंड होने चाहिए जब हम लोगों के पैसे से व्यवहार करते हैं। जबकि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जवाबदेही पर नियम और विनियम हैं, जब शीर्ष प्रबंधन की बात आती है, तो जवाबदेही के सख्त नियमों को प्रदान करने के लिए ढील प्रतीत होती है। विशेष रूप से, जब उच्च कार्यकारियों को बड़े ऋणों की मंजूरी के लिए बड़े अधिकार दिये जाते हैं और ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए भी, ऐसे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं।

7. प्रस्तावित एफआरडीआई बिल को वापस लिया जाये

मौजूदा नियमों और प्रावधानों के तहत पहले से ही कई नियम और कानून हैं। इस बिल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नए प्राधिकारी को व्यापक शक्तियों के साथ सशक्त बनाना है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और बीमा कम्पनियों को विघटित और मिटाया जा सके और इसलिए यह जाहिर तौर पर कठोर है। इसलिए हम इस बिल को वापस लेने की माँग करते हैं।

8. बैंक बोर्ड ब्यूरो को समाप्त किया जाये

बैंक बोर्ड ब्यूरो को बैंकों के मामलों से निपटने के लिए सुपर बॉस के रूप में प्रशासनिक रूप से बनाया गया है। जो संसद के संविधान के तहत बना है। इस संस्था के निर्णयों की जिम्मेदारी पारदर्शी नहीं है और यह देखा गया है कि यह संस्था सरकार के नीतिगत मामलों पर भी परिभाषित प्राधिकरणों को कुचलने और नजरअंदाज करने के प्रयास कर रही है। हम लगता है कि यह संस्था अनावश्यक है और इसलिए इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

9. कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों का भार बैंक ग्राहकों पर सेवा शुल्क बढ़ाकर न डाला जाये

हमने पहले ही कहा है कि बैंकों की आय और आय की बड़ी राशि बड़े उधारकर्ताओं के खराब ऋणों के विरूद्ध बट्टे खाते डाली जाती है। नतीजतन, बैंकों के लाभ और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ बैंक हानि दिखाने के लिए मजबूर हैं हालांकि बहुत अच्छा परिचालन लाभ अर्जित कर रहे हैं। खराब ऋणों को वसूल करने और इन नुकसानों को रोकने के बजाय, बैंक सभी प्रकार की सामान्य बैंकिंग सेवाओं के लिए आम ग्राहकों के लिए शुल्क बढ़ा रहे हैं। अब छोटे ग्राहकों की बचत जमाओं पर ब्याज दर कम कर दी गई है जबकि कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए खराब ऋणों के करोड़ों रूपयों के बट्टे खाते बिना कमी के जाते हैं। हम माँग करते हैं कि साधारण बैंक ग्राहकों पर खराब ऋणों के भार को डालना अनुचित है और इसलिए रोका जाना चाहिए।

10. जीएसटी के नाम पर सेवा शुल्कों को न बढ़ाया जाये

जीएसटी की शुरूआत के साथ, ग्राहकों पर अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। या तो इसे बैंकों द्वारा वहन किया जाना चाहिए या बैंकिंग सेवाओं के लिए जीएसटी को कम किया जाना चाहिए।

जारी पृष्ठ 6

11. विमुद्रीकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं के मूल्यभार की सरकार द्वारा बैंकों को प्रतिपूर्ति की जाये

काला धन, नकली नोट आदि से निपटने के लिए नवम्बर 2016 में सरकार द्वारा विमुद्रीकरण योजना की घोषणा की गई थी। बैंकों को इसके कार्यान्वयन के लिए योजना को संभालने के लिए कहा गया था। पूरे देश ने देखा कि शानदार तरीके से बैंकों और बैंकिंग कर्मचारियों ने इस तरह की कठिन परिस्थितियों को संभाला। इस प्रक्रिया में बैंकों ने खर्चों के रूप में पर्याप्त राशि उठाई और इससे उनके मुनाफे पर और अधिक प्रभाव पड़ा। जब कि बैंक पहले से ही लाभ में कमी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार को विमुद्रीकरण योजना लागू करने की मूल्यभार की बैंकों को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

12. कर्मचारियों और अधिकारियों के विमुद्रीकरण योजना से जुड़े हुए मुद्दों को तय किया जाये

जबकि बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को दैनिक आधार पर बहुत देर तक बैठने के द्वारा योजना के कार्यान्वयन में अभूतपूर्व कार्य के साथ , । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के अतिरिक्त कार्य के लिए क्षतिपूर्ति का, जिसके लिए कानूनी रूप से हकदार हैं, अब तक भुगतान नहीं किया गया है। हम तुरंत भुगतान करने की माँग करते हैं।

13. बैंकों में कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों के पदों को तुरन्त भरा जाये

बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम बैंकों के निदेशक मण्डल की नियुक्ति को प्रदान करता है और इस योजना में एक कमगार निदेशक और एक अधिकारी निदेशक की नियुक्ति प्रदान करता है। योजना 1972 से प्रचलन में है और 43 वर्षों से, इसे लागू किया जा रहा है। जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति को रोक दिया गया है। यह एकतरफा, मनमाने, अवैध, गैर–लोकतांत्रिक है और कर्मचारियों की सहभागिता को अस्वीकार करता है जैसा कि योजना में उल्लिखित है। हम मांग करते हैं कि इन पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। जब कि सरकार का मानना है और सुशासन की बात करती है, तो उनसे योजना का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

14. सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति योजना को लागू किया जाये

30 वर्षों से अधिक से, बैंक अनुकम्पा योजना के रूप में कर्मचारी अथवा अधिकारी की सेवा में मृत्यु पर पात्र पारिवारिक सदस्य को नौकरी देती थी। इस योजना को बैंकों द्वारा एकतरफा तरीके से वापस ले लिया गया। लंबे आंदोलन, संघर्षों और हड़तालों के बाद, सरकार ने दखल दिया और बैंकों में सरकारी योजना लागू करने के दिशानिर्देश जारी किये। सरकारी योजना मृतक कर्मचारी/अधिकारी के परिवार के पात्र पारिवारिक सदस्य को रोजगार प्रदान करती है। लेकिन कुछ बैंकों ने एकतरफा तरीके से योजना को नौकरी से धन क्षतिपूर्ति में बदल दिया। हम मांग करते हैं कि सरकारी योजना जैसी कि सरकार और आईबीए द्वारा स्वीकृत की गई है को सभी बैंकों में लागू किया जाये।

15. ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान के तहत उपदान की सीमा को हटाया जाये तथा सेवानिवृत्ति पर उपदान तथा अवकाश नकदीकरण पर आय कर से पूरी छूट दी जाये

वर्तमान में ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए रू0 10 लाख की सीमा है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों, आरबीआई आदि के लिए ग्रेच्युटी राशि की सीमा बढ़ गई है, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत भी सीमा को संशोधित करने और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। हालांकि खबरें हैं कि श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, इस अधिनियम में संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि संशोधन में तेजी लाई जाये और इसे 1.1.2016 से लागू किया जाये जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में है।

इसके अलावा, आयकर के भुगतान से सेवानिवृत्ति लाभों की छूट के लिए सीमा है। हम मांग करते हैं कि इस सीमा को हटाये जाने की आवश्यकता है जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों का पूरा फायदा प्राप्त हो।

जारी पृष्ठ 7

16. पेंशन से सम्बन्धित मुद्दे – आरबीआई/केन्द्र सरकार के अनुसार पेंशन योजना में सुधार जिसमें कि विगत सेवानिवृत्त भी शामिल हों – बैंकों में पूर्व पेंशन योजना को नई पेंशन योजना के स्थान पर लागू किया जाये – 25.05.2015 की अभिलेख टिप्पणी पर कार्य किया जाये।

बैंकों में पेंशन योजना सरकारी/आरबीआई योजना की तर्ज पर शुरू की गई थी। जबकि उनकी योजना में सुधार किये गये हैं, बैंकों में इससे इंकार किया जा रहा है। पेंशन का अद्यतनीकरण, पारिवारिक पेंशन, पूर्व सेवानिवृत्तों के लिए समरूप महंगाई भत्ता आदि हमारे द्वारा उठाई गई अन्य माँगें हैं। इन सभी पर चर्चा हुई और 25.05.2015 को एक रिकार्ड नोट पर हस्ताक्षर किए गये। लेकिन दो वर्ष बीत गए हैं और मुद्दों पर आगे चर्चा करने में देरी हो रही है। हम 1.4.2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी पेंशन योजना के विस्तार की माँग कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को प्रबन्धन/आईबीए द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और हम इन शीघ्रता से इन मांगों के प्रस्ताव की मांग करते हैं।

17. सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती

जबकि सरकार, प्रबन्धन और हर कोई दक्षता और बैंकों में बेहतर ग्राहक सेवा के बारे में बात कर रहा है, पर्याप्त स्टाफ प्रदान नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर, अधिक से अधिक सरकारी योजनायें बैंकों पर थोपी जा रही हैं। इन सभी योजनाओं को अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता है। इसलिए बैंकों में पर्याप्त भर्ती के लिए हमारी मांग है।

हम इन माँगों को सुलझाने के लिए मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के दृष्टिकोण के साथ और इस महत्व में औद्योगिक सद्भाव बहाल करने के लिए आपके हस्तक्षेप की माँग करते हैं जिससे कि हड़ताल को टाला जा सके।

प्रिय साथियों, हमारे सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। हमारी मांगें भी उचित हैं। लेकिन बढ़ते हुए हमले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए, हम अपनी सभी यूनियनों और सदस्यों का अपनी एकता और शक्ति को बढ़ाने और इस हड़ताल को एक पूर्ण सफलता बनाने का आह्वान करते हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

यूएफबीयू का युद्धघोष

22 अगस्त की अखिल भारतीय हड़ताल को एक शानदार सफलता बनायें